रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012023-241700
CG-DL-E-05012023-241700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 2023/पौष 15, 1944
No. 9]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 2023/PAUSHA 15, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 10(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उपधारा (1) और उप धारा(2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ) पशु चिकित्सा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ) पशु चिकित्सा, समूह ''ग'' (योद्धक) पद, भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि** :- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता**:- प्रोन्नति के लिए चिकित्सा श्रेणी शेप-1 होना अपेक्षित है।

6. **शिथिल करने की शक्ति**:- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**श्रेणी**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ) पशु चिकित्सा	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ('ग') अराजपत्रित अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 05 (29,200 - 92,300 रुपए)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है**
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	**प्रोन्नति :-** वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-4 (25500-81100 रूपये) में हैड कांस्टेबल (पशु चिकित्सक) में से प्रोन्नति, जिन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपनी श्रेणी में पांच वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है, पूर्व प्रोन्नतीय पाठयक्रम अथवा विहित पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:**जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा, अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

		प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रो के ऐसे अधिकारी,- क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु चिकित्सा (भेषजज्ञ) स्टॉक सहायक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की हो और जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो:- (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु चिकित्सा (भेषजज्ञ) स्टॉक सहायक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण, और (ii) किसी केंद्रीय या राज्य पशु चिकित्सालय (भेषजज्ञ) से पशु विशेष रूप से घोड़े और कुत्ते की विभिन्न प्रजातियों के उपचार में तीन वर्ष का फील्ड अनुभव और पशु चिकित्सा (भेषजज्ञ) अस्पताल या औषधालय का प्रबंधन या संचालन करने में सक्षम। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :**प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे तथा इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नत द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक(चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष; (2) कमांडेंट या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य; (3) उप कमांडेंट (ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी) या सहायक कमांडेंट (चिकित्सा अधिकारी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. आर. II-1/2020-चिकित्सा-1-केरिपुबल/गृह मंत्रालय/कार्मिक-II]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December,2022

G.S.R.. 10(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Assistant Sub-Inspector (Pharmacist) Veterinary post in the Central Reserve Police Force, namely: -

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Assistant Sub-Inspector (Pharmacist) Veterinary, Group 'C' (Combatised) Post, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix**. —The number of post, its classification, level in pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc**.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**. — No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical Fitness**. —The medical category SHAPE-1 shall be required for promotion.

6. **Power to relax**.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of person.

7. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Assistant Sub- Inspector (Pharmacist) Veterinary	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level 5 (Rs. 29,200-92,300/-) in the pay matrix.	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(6)	**(7)**	**(8)**
Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputations/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	By promotion failing which by deputation/ absorption.	**Promotion:** Promotion from amongst the Head Constable (Veterinary) in pay level 4 (Rs. 25500 - 81100/-) in the pay matrix who have rendered not less than five years regular service in their respective grade in the Central Reserve Police Force. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation/absorption : -**Officers in the Central Government or State Government or Union territories, namely,- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department, and pass in Veterinary Stock Assistant course from a recognised institute, OR (b) with five years service on regular basis rendered after appointment in Pay level 4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix and possessing the following educational qualification and experience: - (i) pass in Veterinary Stock Assistant course from a recognised institute, and (ii) three years field experience in the treatment of various species of animal particularly equine and canine from any Central or State veterinary hospital and able to manage or run veterinary hospital or dispensary. **Note 1**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application. **Note 3:** The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similar, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - (1) Deputy Inspector General or Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force – Chairman; (2) Commandant or Chief Medical Officer (Selection Grade), Central Reserve Police Force - Member; (3) Deputy Commandant or Senior Medical Officer or Assistant Commandant (Medical Officer), Central Reserve Police Force – Member.	Not applicable.

[No. R. II.1/2020. Med. I CRPF/MHA/Pers-II]

LALIT KAPOOR,Dy.Secy. (Pers-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.